

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत..... मुकाम.....

..... विरवारिह बनाम सु. उ. र. म. कोटा

किस्म मुकदमा नं. 60 सन् 2018
..... 111, 128 RLR PL -

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री 20/2/18 ज 1195</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/18 को पेश हो।</p>	
20.2.18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल शुदा प्रालन जिले शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी गण वाकमूद तामिल अनुप प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी के खाने कारी खेती के चारु और पक्केनेवा स्थापित कवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेचमवेदी का आवेदन स्वीकार किया जाकर नेचमवेदी का आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का नेचमवेदी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागिसा का कमीशनर नियुक्त किया जाना है व आदेश दिया जाना है कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता मिली की अधिवक्ताक ल प्रार्थी के खाने कारी खेती के चारु नेचमवेदी मोक पर शुल्क जमा कराकर करें। प्रालन रिपोर्ट प्रालन दोने पर शामिल पत्रावली को पत्रावली प्रालन शुमार दो, दर्ज नम्बर से कम दो शामिल पत्रावली हो।</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/219

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 20.2.18

1. विरधाराम पुत्र मोटाराम वगैरा
3 जाति जाट निवासी चक
सन्तरा तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर


1. धुड़ाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 5
निवासी चक सन्तरा तह. गिड़ा
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 60/18

आदेश

मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 21, 276/7 रकबा कमशः 12.09, 46.01 बीघा, मौजा रिड़िया रामदेव नगर पटवार मण्डल सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 190/9 रकबा 08.03 बीघा, मौजा पाउण्डरी पटवार मण्डल चिड़िया के खेत खसरा नम्बर 169/6 रकबा 07.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2018/220-224

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(Signature)
(Signature) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 20.2.18

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा/चिड़िया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री विरधाराम पुत्र मोटाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री धुड़ाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 5।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(Signature) (SDO)
बायतु